



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2004/श्रावण 26, 1926

No. 719]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2004/SRAVANA 26, 1926

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2004

**का.आ. 929(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का.आ. 670(अ) तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे;

और आधार स्तर के कार्बन टैट्राक्लोराइड (सीटीसी) का 85 प्रतिशत उत्पादन और उपभोग (उदाहरणार्थ वर्ष 1998-2000 में इसके उत्पादन और उपभोग का औसत) गैर आहार स्टाक प्रयोजन के लिए मान्द्रीयल प्रोटोकाल के अधीन लागू नियंत्रण उपायों के रूप में 1-1-2005 तक क्रमिक रूप से किया जाना है, और बहुपक्षीय निधि ने, भारत के लिए उक्त कार्बन टैट्राक्लोराइड परियोजना के लिए 52 मिलियन अमरीकी डालर उत्पादन और उपभोग करने वाली इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में मंजूर किए हैं;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रोटोकाल के निबन्धनों के अनुसार कार्बन टैट्राक्लोराइड के उपयोक्ताओं को, उक्त तारीख से पूर्व स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने और ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाई गई निधियों का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात करना आवश्यक समझती है;

और हाइड्रो-क्लोरो-कार्बन (एचसीएफसी) उक्त प्रोटोकाल के निबन्धनों के अनुसार केवल वर्ष 2040 तक उपयोग किया जाना अपेक्षित है और भारत में प्रशीतन और विद्युत्रोधी क्षेत्र में उनके उपयोग में तब तक वृद्धि की संभावना है, जब तक ऐसा हाइड्रो-क्लोरो-कार्बन के रजिस्ट्रीकरण की अवधि के विस्तार की आवश्यकता तक उनके समुचित अनुकल्प विकसित नहीं हो जाते हैं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोक हित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की अनुसूची 5 में, क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि दोनों मामलों में, अनुसूची 1 के समूह 4 में, सूचीबद्ध पदार्थ के संबंध में रजिस्ट्रीकरण की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर, 2004 या उससे पूर्व की होगी; और अनुसूची 1 के समूह 6 में सूचीबद्ध पदार्थ के लिए 19 जुलाई, 2007 या उससे पूर्व की होगी।”

[फा. सं. 16/1/96-ओसी]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :—**ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 670(अ) तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. का.आ. 1283(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2001 और सं. का.आ. 996(अ) तारीख 27 अगस्त, 2003 द्वारा संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2004

**S.O. 929(E).**—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 vide notification number S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000;

And whereas, 85 per cent production and consumption of carbon tetrachloride (CTC) of the base level (i.e. average of its production and consumption in the years 1998 to 2000) for non-feedstock purpose is to be phased out by 1-1-2005 as control measures applicable under the Montreal Protocol and the Multilateral Fund has sanctioned US \$ 52 million for the said CTC project for India as financial assistance to the producing and consuming units;

And whereas, the Central Government considers it necessary to allow the CTC users to get themselves registered before the said date in terms of the above said Protocol and utilize the funds meant for protection of the ozone layer;

And whereas, hydro-chloro-fluoro carbons (HCFCs) are required to be phased out only by the year 2040 in terms of the said Protocol, and their use are likely to be increased in the area of refrigeration and insulation in India till suitable substitutes are developed, necessitating the extension of the period of registration for such HCFCs users;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) or rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000, in Schedule-V, against serial number 4, in column (5), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

“Provided that in both the cases, the last date for registration with regard to the substances listed in Group-IV of Schedule-I shall be on or before 31st December, 2004; and for the substances listed in Group-VI of Schedule-I shall be on or before 19th July, 2007.”

[F. No. 16/1/96-OC]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

**Note :—** The Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 were published in the Gazette of India, vide number S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000 and, subsequently amended vide number S.O. 1283(E) dated the 31st December, 2001 and S.O. 996(E) dated the 27th August, 2003.